न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 71/2017 (उदयपुर आर्डर)

1. हरिओम पिता स्वर्गीय श्री ख्यालीलाल लखारा, निवासी खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. प्रदीप पिता स्वर्गीय श्री ख्यालीलाल लखारा, निवासी खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. मोहनी बाई पत्नी स्वर्गीय श्री ख्यालीलाल लखारा, निवासी खेमली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा – 76
राज. भू–राजस्व अधि. 1956 विरूद्ध
निर्णय जिला कलक्टर उदयपुर दि0
30–11–2015 प्रकरण स. 26/2015

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता

———::———

निर्णय दिनांक

28–05–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार मावली द्वारा अपने प्रकरण संख्या 132/2014 निर्णय दिनांक 17–09–2014 से ग्राम खेमली की आराजी नंबर 836 रकबा 3 बिस्वा भ्मि पर अपीलान्टगण के पिता विपक्षी ख्यालीलाल का नाजायज कब्जा मानते हुए उसके विरूद्ध बेदखली एवं मौके पर निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया।

तहसीलदार मावली के उक्त निर्णय से रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा प्रथम अपील जिला कलक्टर उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 30–11–2015 से प्रथम अपील खारिज कर दी।

जिला कलक्टर उदयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 30–11–2015 से रूष्ट होकर अपीलान्टगण ने इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील दिनांक 28–11–2017 को प्रस्तुत की।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 03–10–2017 को तब हुई जब वकील हल्का ने बताया कि तुम्हारे पिता के विरूद्ध बेदखली का आदेश हो गया है तथा इसी दौरान अपीलान्ट के पिता का निधन हो जाने से अपील पस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन पर पत्रावली का मनन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में भी अपील बेरून मयाद प्रस्तुत की गयी थी तथा देरी का कारण वहीं बताया है जो इस न्यायालय में बता रहा है। तद्नुसार अपीलान्ट का कथन विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है। अपील करीब 2 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण लिये गये हैं व न तो उचित प्रतीत होते हैं, न ही पर्याप्त कारण है। तद्नुसार अपील प्रथम दृष्टया बेरून मयाद होने से इसी आधार पर खारिज योग्य है। फिर भी न्यायहित में प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत मयाद कण्डोन की जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

अपील अन्दर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट राज्य सरकार का नोटिस जारी किये गये, जिस पर उनकी ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अपोलान्टगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी नंबर 836 को चारागाह होना गलत बताया गया है। अपीलान्ट का उपरोक्त आराजी की 3 बिस्वा भूमि पर अपने बाप–दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलान्ट उस पर मकान बनाकर परिवार सहित निवास करता है। इसलिए पुराने कब्जे के आधार पर वह नियमन की पात्रता रखता है तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 20–01–1996 को उसके पक्ष में पट्टा भी जारी किया गया है, किन्तु दोनों अधिनस्थ न्यायालयों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकर कर दानों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त करने की प्रार्थना की।

वहीं विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया गया है तथा उसके द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनवाया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे तथा दोनों अधिनस्थ न्यायालय के निर्णयों को यथावत रखा जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि तहसीलदार मावली द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इसलिए अपीलान्ट का यह कथन कि उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है, उचित प्रतीत नहीं होता है तथा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा भी विधिवत अपीलान्टगण के अधिवक्ता को सुनकर निर्णय पारित किया गया है। जिला कलक्टर न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट अंकित किया है कि अपीलान्ट द्वारा जो पट्टा प्रस्तुत किया गया है वह बाड़ा प्रयोजनार्थ तहसीलदार द्वारा दिया गया है, जिस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, जबकि अपीलान्ट स्वयं का कथन है कि वह मकान बनाकर परिवार सहित निवास करता है। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 30–11–2015 एवं तहसीलदार, मावली का निर्णय दिनांक 17–09–2014 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर